अभि० बाधा शेष प्रतिवादीगण की पुनः तलबी कराई जावे। P.O. अभि० भीलवाड़ा में धौलपुर पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 07/11/19 को पेश हो।

7/11/19 वकील अभियोक्ता उप०, जवाब दावा की अभि० बाधा, प्रतिवादीगण की पुनः तलबी नहीं कराई गयी है। अतः अब आवश्यक रूप से कराई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12-12-19 को पेश हो।

12/12/19 वकील अभियोक्ता उप० जवाब दावा की अभि० बाधा, प्रतिवादी 22, 23, 27, 28, 32 to 40, 45 to 49 एवं 52 to 56 की पुनः तलबी नहीं कराई है। अब आवश्यक रूप से कराई जावे। पत्रावली दिनांक 16/1/20 को पेश हो।

16/1/20 वकील अभियोक्ता उप०, जवाब दावा की अभि० बाधा, प्रतिवादी 22, 23, 27, 28, 32 to 40, 45 to 49 एवं 52 to 5 की पुनः तलबी नहीं कराई है। अतः अब अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब एवं तलबी दिनांक 13/2/20 को पेश हो।

13/2/20 वकील अभियोक्ता उप०, वकील वादी अन्तिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तलबी नहीं कराई है। अतः दावा वादी न्यायालय आदेश 9 रूल 8 की पालना न करने के कारण आदेश 17 रूल 2 पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमरे में मूव देखकर वाद वकील दावा के हस्ताक्षर होने व प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)